भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. †1076

सोमवार, 2 दिसम्बर, 2024/11 अग्रहायण, 1946 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

पर्यटन केंद्रों की वहन क्षमता का मूल्यांकन

†1076. एडवोकेट डीन कुरियाकोसः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सतत पर्यटन सुनिश्चित करने के लिए देश-भर में प्रत्येक पर्यटन केन्द्र और गंतव्य की वहन क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए कोई वैज्ञानिक मानदंड अथवा दिशानिर्देश स्थापित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन मानदंडों का ब्यौरा क्या है और पर्यावरणीय प्रभाव, अवसंरचना सीमाओं और पर्यटकों की सुरक्षा से संबंधित किन्हीं पैरामीटरों सहित ऐसे मूल्यांकनों के लिए प्रयुक्त पद्धति क्या है;

(ग) क्या आगंतुकों की संख्या, पर्यावरणीय परिस्थितियों और स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं में परिवर्तन के आलोक में इन मानदंडों की नियमित रूप से समीक्षा करने और इन्हें अद्यतन करने की कोई प्रक्रिया है; और

(घ) इडुक्की और वायनाड, जहां स्थानीय लोगों की आजीविका पर्यटन पर निर्भर करती है, में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री **(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)**

(क) से (ग): पर्यटन मंत्रालय ने अपनी स्वदेश दर्शन योजना (एसडी 2.0) के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनमें वहन क्षमता सहित विभिन्न विषयों के संबंध में बेंचमार्किंग और अंतर का विश्लेषण करने पर बल दिया गया है।

पर्यटन मंत्रालय ने राज्य सरकारों को गंतव्य मास्टर प्लान, कार्यनीति और कार्य योजना के लिए एक टेम्पलेट भी परिचालित किया है, जिसमें गंतव्य की वहन क्षमता के मूल्यांकन और वहन क्षमता के प्रबंधन पर मार्गदर्शन शामिल है। उक्त पद्धति में आगंतुकों की संख्या के संदर्भ में गंतव्य की वास्तविक वहन क्षमता का आकलन करने के लिए मार्गदर्शन किया गया है जिसे एक निर्धारित सीमा में किसी समय-विशेष में अनुमति दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त, उक्त गंतव्य के लिए इन कारकों की महत्ता और महत्व के आधार पर गंतव्य की

पर्यटन वहन क्षमता को प्रभावित करने वाले अन्य प्राकृतिक और/अथवा मानव निर्मित कारकों पर विचार करने की सलाह दी गई है। इन कारकों में भारी वर्षा वाले दिन, भारी बर्फबारी वाले दिन आदि जैसे विविध कारक शामिल हो सकते हैं। आगंतुकों की संख्या, पर्यावरणीय परिस्थितियों और स्थानीय समुदाय की जरूरतों में परिवर्तन के आधार पर मानदंडों की समीक्षा और उन्हें अद्यतन गंतव्य की आवश्यकतानुसार किया जा सकता है, ताकि पर्यावरण, संसाधनों को बिना हानि पहुंचाए आगंतुकों को स्थायी और सुरक्षित रूप से समायोजित करने और दीर्घकालिक पर्यटन व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के प्रति गंतव्य की क्षमता सुनिश्चित की जा सके।

(घ): पर्यटन मंत्रालय, “स्वदेश दर्शन” एवं “तीर्थयात्रा जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद)” की अपनी योजनाओं के तहत, निधियों की उपलब्धता, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की प्रस्तुतीकरण, योजना दिशा-निर्देशों के अनुपालन, पूर्व में जारी की गई निधियों का उपयोग आदि के अध्यधीन, राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान करके देश के विभिन्न भागों में पर्यटन के विकास के प्रयासों को सम्पूरित करता है। उपर्युक्त योजनाओं के तहत, पर्यटन मंत्रालय द्वारा केरल राज्य में निम्नलिखित परियोजनाओं को पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है:-

स्वदेश दर्शन योजना		
परिपथ/स्वीकृति का वर्ष	**परियोजना का नाम**	**स्वीकृत राशि (करोड़ रू. में)**
इको परिपथ 2015-16	पत्तनमथिट्टा- गावी- वागामोन- थेक्कडी का विकास	64.08
आध्यात्मिक परिपथ 2016-17	सबरीमाला - एरुमेली-पंपा-सन्निधानम का विकास	46.54
आध्यात्मिक परिपथ 2016-17	श्रीपद्मनाभ मंदिर, अर्नामुला का विकास	78.08
ग्रामीण परिपथ 2018-19	मालानाड मालाबार क्रूज पर्यटन परियोजना का विकास	57.35
आध्यात्मिक परिपथ 2018-19	शिवगिरीश्री नारायण गुरु आश्रम- अरुवीपुरम- कुन्नुमपारा श्री सुब्रह्मणिया- चेम्बाझंती श्री नारायण गुरुकुलम का विकास	66.42
प्रशाद		
2016-17	गुरुवायूर मंदिर में विकास	45.19

इसके अतिरिक्त, एसडी 2.0 के तहत, मंत्रालय ने कुमारकोम और कोझीकोड (बैपोर) नामक एक परियोजना को 13.92 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है।

पर्यटन मंत्रालय ने राज्यों को स्वदेश दर्शन 2.0 की एक उप-योजना 'चुनौती आधारित गंतव्य विकास' के तहत परियोजना प्रस्तावों के तैयार करने के लिए दिशानिर्देश और टेम्पलेट जारी किए हैं और केरल में इस योजना में संस्कृति और विरासत के तहत 'वर्कला' एवं आध्यात्मिक पर्यटन श्रेणी के तहत 'थालास्सेरी' को चिह्नित किया है।

पर्यटन मंत्रालय ने "केन्द्रीय एजेंसियों को सहायता" की अपनी योजना के तहत केरल में 6 परियोजनाएं स्वीकृत की हैं, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

स्वीकृति वर्ष	**परियोजना**	**राशि करोड़ रू. में**
2016-17	विलिंगडन द्वीप, कोचीन, केरल पर वॉकवे/सैरगाह का विकास	9.01
2016-17	कोचीन पोर्ट ट्रस्ट में एर्नाकुलम घाट के बर्थ और बैकअप क्षेत्र के उन्नयन के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता	21.41
2016-17	भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा साई त्रिवेन्द्रम गोल्फ क्लब में गोल्फ कोर्स के उन्नयन के लिए परियोजना	24.65
2018-19	कोचिन पोर्ट क्रूज टर्मिनल में अवसंरचना का विकास	1.21
2018-19	कोचीन पोर्ट ट्रस्ट में कोचीन नॉर्थ ट्रस्ट वॉकवे पर अतिरिक्त पर्यटन सुविधाओं का निर्माण	4.65
2019-20	नए कोचीन पोर्ट ट्रस्ट टर्मिनल में अतिरिक्त अवसंरचना के विकास के लिए सीएफए	10.30

****